

800

2229
13/05

निविदा सूचना

44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के परिसर में चाय, शीतल पेय, मिठाई, नमकीन इत्यादि जलपान सामग्री बेचने के लिये बेट कैंटीन हेतु एक ठेकेदार को नियुक्त करने के लिये सील बन्द लिफाफे में टेन्डर आमंत्रित किये जाते हैं:-

कैप्टन को ठेके पर लिये जाने हेतु सील बन्द निविदाये मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक :- 20.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिये लिफाफे के ऊपर कैप्टन मर्चेन्ट के लिये टेण्डर लिखा होना चाहिये विलम्ब से अथवा अधूरी प्राप्त होने वाली निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र जो 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के अन्तर्गत प्रधान लिपिक शाखा से नगद ₹0 500/- एवं निर्धारित देय 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान प्रदान कर प्राप्त किया जा सकती है, निविदा निर्धारित प्रपत्र पर होना आवश्यक है, जो तददिनांक को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय में वाहिनी के उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

सेनानायक को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा, कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार की गयी निविदा के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नहीं होंगे। प्रत्येक निविदा के साथ ₹0-5000/- अर्नस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी, उसे सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर (एग्रीमेन्ट डीड) नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। जिसके प्रतिबन्धों के लिये वह बाध्य होगा।

स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को सूचना के एक सप्ताह के अन्दर धनराशि ₹0- 5000/- बतौर जमानत के वाहिनी मेनिटीज फण्ड में आकिक के पास जमा करनी होगी। यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर-पत्र (एग्रीमेन्ट डीड) नहीं भरता है अथवा जमानत की धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी अर्नस्ट मनी जब करते हुये दूसरे व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जा सकती है अथवा पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सेनानायक जो उचित समझे कार्यवाही कर सकते हैं।

कैप्टन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि ठेकेदार कैंटीन बन्द करता है, तो ठेकेदार के द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के आधार पर उसकी जमानत धनराशि जब कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

निविदा की शर्तें

1- खाद्य सामग्री की क्वालिटी एवं कीमत प्रत्येक माह वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही विक्रय की जा सकेगी।

2- किसी नशीले पदार्थ गुटका/सिगरेट/बीडी/तम्बाकू आदि का विक्रय नहीं किया जायेगा।

3- ठेका मिलने वाले व्यक्ति को बटालियन एमेनिटीज फण्ड रिबेट नहीं होगा। रिबेट देने वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृति पर सेनानायक द्वारा विचार किया जायेगा।

4- ठेकेदार कैंटीन में को आपरेटिव डेयरी का दूध प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी दशा में प्राईवेट से दूध का क्य नहीं करेगा। इस अनियमितता का दोषी पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

5- ठेकेदार को निम्न शर्तों पर आधारित फार्म भरना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करें जिनको शर्त स्वीकार होगी:-

रिबेट की धनराशि ₹0- 23650/-प्रतिमाह की दर से कम नहीं होगी।

भूमि का किराया- ₹0- 500-00 प्रतिमाह

स्वीपर/कूड़ा निस्तारण चार्ज ₹0- 500-00 प्रतिमाह

पानी चार्ज ₹0- 500-00 प्रतिमाह

बिजली चार्जज मीटर रीडिंग की व्यवसायिक दर से प्रतिमाह देना होगा।

6- उक्त कैप्टन का ठेका निविदा के स्वीकृति के दिनांक से 31.03.2027 तक रहेगा।

7- ठेकेदार उक्त कैंटीन में एवं उसके आस-पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन सेनानायक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।

8- ठेकेदार कैंटीन व उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखेगा।

9- ठेकेदार कैंटीन में किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कच्चा अथवा पक्का सामान या आपत्तिजनक वस्तु नहीं बेचेगा।

10- ठेकेदार कैंटीन में कोई नशीली वस्तु तस्कर का सामान, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामान या अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं बेचेगा।

11- कैंटीन में राशन कार्ड का कोई सामान नहीं बेचेगा।

12- ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को सामान उधार नहीं देगा। यदि उधार देता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

13- ठेकेदार कैंटीन पर कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति नौकर के रूप में नहीं रखेगा।

14- ठेकेदार द्वारा दैनिक जलपान की वस्तुये पर्याप्त मात्रा में एव अच्छी क्वालिटी की कैंटीन में रखनी होंगी।

15- कैंटीन खुले होने पर सेनानायक अथवा वाहिनी के अन्य राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के काउण्टर का निरीक्षण कर सकते हैं।

16- ठेकेदार कैंटीन में उपलब्ध सामान की एक सूची कैंटीन में लगायेगा।

17- ठेकेदार कैंटीन का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा।

SIAD

12/05/26

11cwebsite

SIAD
12/05/26

18-टेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है,, अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलती है, वाहिनी में प्रचलित नियमों को तोड़ता है, प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिये किसी कर्मचारी को बढ़ावा देता है तो सेनानायक को अधिकार होगा कि टेकेदार के विरुद्ध रू0-500-00 तक जुर्माना कर सकता है। टेकेदार कैन्टीन टेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि कैन्टीन समाप्त करता है तो टेकेदार के द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

19- कैन्टीन में कोई सामान बाजार मूल्य से अधिक रेट पर नहीं बेचेगा। सेनानायक द्वारा मनोनीत कमेटी द्वारा प्रतिमाह बाजार से जाँचकर विभिन्न वस्तुओं का भाव करेगी। टेकेदार कमेटी की रिपोर्ट मानने के लिये बाध्य होगा।

20- प्रत्येक टेकेदार अपने-अपने टेण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत होना चाहिये।

21- टेकेदार द्वारा कैन्टीन पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा चरित्र संत्यापन के उपरान्त ही किसी व्यक्ति को कैन्टीन पर कार्य करने हेतु रखेगा।

22-टेकेदार को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पत्रांक: क- 03/2020

दिनांक 04 -05-2026



सेनानायक

44वीं वाहिनी पीएसी
मेरठ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ पुलिस तकनीकी सेवाये मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त टेण्डर नोटिस का विज्ञापन पुलिस विभाग की वेबसाईड पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।

2-पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

3- जिलाधिकारी, मेरठ।

4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/ गाजियाबाद/ गौतमबुद्धनगर/ बुलन्दशहर/ बागपत/ हापुड/ शामली/ मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर।

5- जिला सूचना अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं स्थानीय अखबार में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

6- सेनानायक 6/41/47/49वीं वाहिनी पीएसी।

7- टेकेदार श्री विशाल कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामानन्द, निवासी एल-1069 शास्त्री नगर मेरठ।

8- टेकेदार श्री भैयालाल पुत्र श्री प्रभाती लाल, बी-864 सैनिक विहार, ककरखेडा मेरठ।

9- टेकेदार श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, म0नं0-14न्यू हनुमानपुरी, एस0के0रोड, मेरठ।

10-टेकेदार श्री नानक मित्तल, सिगनल रेजीमेन्ट मेरठ कैण्ट मेरठ।

11- टेकेदार श्री कान्तीलाल ,इन्जीनियरिंग वर्कशाप मेरठ कैन्ट मेरठ।

12- टेकेदार श्री जगमोहन बंसल, बंसल कैन्टीन रजबन मेरठ।

13- टेकेदार श्री सुदेश मलिक, जागृति विहार, मेडिकल कालेज के सामने, मेरठ।

14- टेकेदार श्री उमाशंकर गोयल, बेगा इन्टरप्राईजेज दिल्ली रोड मेरठ।

15- टेकेदार कैन्टीन 6पीएसी, मेरठ।

16- टेकेदार श्री बंजरग लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी नागला बनेटी जयपुर राजस्थान।

17- कैन्टीन टेकेदार पी0टी0एस0/ पुलिस लाइन मेरठ।

18- टेकेदार श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा डाक घोसीपुर तहसील मेरठ।

19-शिविरपाल/प्रधान लिपिक/आंकिक, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

20-श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, गाढ-बनेटी, तहसील-कोटपुतली जिला-जयपुर (राजस्थान)